कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 116/2017 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत

राधेश्याम स्वामी राज का बाडा, गढ के पीछे, चूरू, तहसील व जिला चूरू, (राज.)।

——अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार राजस्व नोहर।

——प्रत्यार्थी

आदेश दिनांकः—05.12.2017

यह अपील सूचना का अधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार राजस्व नोहर के विरूद्ध प्राप्त हुई है।

अपीलार्थी उपस्थित नही। अपीलार्थी के अपील में अंकित तथ्यो के अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना अपीलार्थी को नही भिजवाई गई है। लोक सूचना अधिकारी को सूचना प्रदान करने हेतु आदेश दिये जाने के संबंध में यह अपील की हैं।

इस अपील के संबंध में अपीलार्थी का एक प्रार्थना पत्र दिनांक 25.11.2017 प्राप्त हुआ। जिसमें अंकित किये गये तथ्यो के अनुसार स. लो. सू. अ. का आदेश कमांक सू.अ.अधि./2017/15 दिनांक 03.10.2017 दिनांक 16.11.2017 को प्राप्त हुआ है। उक्त आदेश में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (ञ) के तहत सूचना व्यक्तिगत श्रेणी की होने के कारण उपलब्ध नही करवाई जा सकती है। मांगी गई सूचना में धारा 8 (ञ) के प्रावधान लागू नही होते है। सूचना के लिए मना नही किया जा सकता है। प्रश्नगत सूचना लोक दस्तावेज है। लोक प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(च) की परिभाषां में आती है। लोक प्रलेखन व सार्वजनिक दस्तावेज है। लोक सूचना अधिकारी स्वयं सूचना देने से इन्कार कर रहे है जबकि तृतीय पक्षकार से इस संबंध में पूछा नही गया है। सहायक लोक सूचना अधिकारी को वांछित सूचना प्रदान करने का आदेश हेतु आदेश दिये जावे।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार राजस्व नोहर से पत्र कमांक 47 दिनांक 27.11.2017 द्वारा जबाव प्राप्त हुआ जसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को प्रेषित किया जाना पाया गया है।

सत्यमेव जयते
MGS Copy Not Official

पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 25.11.2017 का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र दिनांक 25.11.2017 में यह कथन अंकित किया है कि मांगी गई सूचना में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 (ञ) के प्रावधान लागू नही होते है। सूचना के लिए मना नही किया जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उसकी स्वयं की व्यक्तिगत नही है जिसके कारण सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) नोहर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 (ञ) के तहत व्यक्तिगत श्रेणी की मानते हुए उपलब्ध नही करवाई है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) नोहर के उक्त पत्र कमांक 47 दिनांक 27.11.2017 के साथ संलग्न पत्र कमांक 15 दिनांक 03.10.2017 की चित्रप्रति का अवलोकन करने पर उनके द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबंध में सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी की अपील उक्तानुसार निर्णित की जाती है। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official